28.10.21

अपीलार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थिया के अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया कि आदेश दिनांक 24.02.2021 द्वारा अपीलार्थिया की अपील खारिज की गई जिसमें अपीलार्थिया को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थिया के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है अपीलार्थिया अपने परिवार का भरण पोषण मानदेय से ही कर रही है। अतः अपीलार्थिया की अपील स्वीकार की जाकर बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 809 दिनांक 05.09.2019 निरस्त फरमाया जावें।

अपीलार्थिया के रिव्यू प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं अपीलार्थिया की वेदन पर पुनः विचार किया तो पाया कि अपीलार्थिया के परिवार का भरणपोषण कार्यकर्ता के पद पर मिलने वाले मानदेय से होता है। फलस्वरूप अपीलार्थिया का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थिया रिमाण्ड की जाती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थिया के प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार करें। आदेशिका की प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर